अनुदान संख्या 79 – पेय जल पूर्ति विभाग
GRANT No. 79–DEPARTMENT OF DRINKING WATER SUPPLY

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	2751,38,00		2771,39,00	2770,88,88	–50,12
पूरक	Supplementary	20,01,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					10,84

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads :-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head					
मुख्य शीर्ष "2215" जल पूर्ति तथा सफाई	Major Head "2215" Water Supply and Sanitation					
मू.	O.	87426.00				
पू.	S.	1.00		105104.75	105068.84	–35.91
पु.	R.	17677.75				
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas					
मू.	O.	27500.00		. .	. .	. .
पु.	R.	–27500.00				
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments					
मू.	O.	160070.00				
पू.	S.	2000.00		171879.91	171879.88	–0.03
पु.	R.	9809.91				

(I) 28113.00 लाख रु. का प्रावधान सात शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 27800.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of Rs.28113.00 lakhs remained wholly unutilised under seven heads; of these Rs.27800.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) "मुख्य शीर्ष "2552" - "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान"- 27500.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए संबंधित कार्यात्मक शीर्षों से पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का उपयोग किए जाने के कारण थे।

(A) Major Head "2552" - "Other Expenditure – Provision for Projects/Schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim" - Rs.27500.00 lakhs - due to utilisation of funds by re-appropriation to the concerned functional heads for meeting expenditure for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" - "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - जल पूर्ति - ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम - मानव संसाधन विकास"- 300.00 लाख रु. मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को नई परियोजनाओं के लिए स्वीकृति प्रदान न किए जाने के कारण थे।

(B) Major Head "3601" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Water Supply – Rural Water Supply Programme – Human Resource Development" - Rs.300.00 lakhs - due to non-sanctioning of new projects under Human Resource Development programme to the states.

(II) मुख्य शीर्ष "2215" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(II) Under Major Head "2215" - savings occurred under the following heads:-

(का) "जल पूर्ति"-

(A) "Water Supply" -

(क) "ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम"-

(a) "Rural Water Supply Programme" -

(i) "राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन"- 171.93 लाख रु. की बचत (590.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परामर्शदात्री सेवाओं के लिए विभिन्न अभिकरणों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने और वर्ष के दौरान कार्यालय उपस्करों की खरीद के कुछ प्रस्तावों को मूर्तरूप न दिए जाने के कारण हुई।

(i) "Rajiv Gandhi National Drinking Water Mission" - saving of Rs.171.93 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.590.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from various agencies for consultancy services and non-materialisation of some proposals for purchase of office equipments during the year.

(ii) "मानव संसाधन विकास"- 299.84 लाख रु. की बचत (300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को नई परियोजनाओं के लिए स्वीकृति प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(ii) "Human Resource Development" - saving of Rs.299.84 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.300.00 lakhs) was due to non-sanctioning of new projects under Human Resource Development Programme to states.

(iii) "विश्व स्वास्थ्य संगठन/यूनिसेफ इत्यादि से सहायता"- 371.05 लाख रु. की बचत (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जल पूर्ति कार्यक्रम के विश्व बैंक सहायता प्राप्त संघटक 'डी' के अंतर्गत कम संख्या में स्कीमें लिए जाने के कारण हुई।

(iii) "Assistance from WHO/UNICEF etc." - saving of Rs.371.05 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.400.00 lakhs) was due to less number of schemes undertaken under World Bank Aided Component 'D' of Water Supply Programme.

(iv) ''प्रबंधन सूचना प्रणाली और कम्प्यूटरीकरण''- 254.23 लाख रु. की बचत (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वर्ष के दौरान राज्य सरकार से प्रबंधन सूचना प्रणाली कार्यकलापों के लिए कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) ''जल निकासी और सफाई - सफाई सेवाएं - मानव संसाधन विकास''- 137.50 लाख रु. की बचत (150.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को नई परियोजनाओं के लिए स्वीकृति प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - जल पूर्ति - ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम - सूचना, शिक्षा और संचार'' के अंतर्गत 540.44 लाख रु. की बचत (550.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से सूचना, शिक्षा और संचार संबंधी कार्यकलापों के लिए कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत 50.69 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 68 प्रतिशत थी।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (19294.60 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ''2215'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत फरवरी, 2004 में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) ''जल पूर्ति - ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम - राज्य बोर्ड प्राधिकरण इत्यादि को अनुदान''- 13463.77 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 13418.50 लाख रु. था।

(खा) ''जल निकासी और सफाई - सफाई सेवाएं - जिला जल एवं सफाई समितियों, मिशनों, जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों इत्यादि को अनुदान''- 5830.83 लाख रु.।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - जल पूर्ति - ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम - त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं - 10701.12 लाख रु. का अधिक व्यय (फरवरी, 2004

(iv) "Management Information System and Computerisation" - saving of Rs.254.23 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.400.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from State Government for Management Information System activities during the year.

(B) "Sewerage and Sanitation - Sanitation Services - Human Resource Development" - saving of Rs.137.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.150.00 lakhs) was due to non-sanctioning of new projects to States under Human Resource Development programmes.

(III) Under Major Head "3601" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Water Supply - Rural Water Supply Programme - Information, Education and Communication" - saving of Rs.540.44 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.550.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from State Governments for Information, Education and Communication activities.

(IV) Under one head saving of Rs.50.69 lakhs occurred, constituting 68 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.19294.60 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh in February, 2004 under Major Head "2215" - under the following heads:-

(A) "Water Supply - Rural Water Supply Programme - Grants to State Board Authorities etc." - Rs.13463.77 lakhs. Actual excess, however, was Rs.13418.50 lakhs.

(B) "Sewerage and Sanitation - Sanitation Services - Grants to District Water and Sanitation Committees, Missions, District Rural Development Agencies etc."- Rs.5830.83 lakhs.

(II) The savings were also offset by excess under Major Head "3601" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Water Supply - Rural Water Supply Programme - Accelerated Rural Water Supply Programme" - excess of Rs.10701.12 lakhs (against the sanctioned

में प्राप्त किए गए 2000.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 160370.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्ष को निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने के कारण हुआ।

provision of Rs.160370.00 lakhs including supplementary grant of Rs.2000.00 lakhs obtained in February, 2004) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional head for meeting the expenditure for the benefit of North Eastern Region including Sikkim.